117

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2360–एक/2016 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 10–06–2016 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा, जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 13/2015–16 अपील

राम सिंह पुत्र दिलीप सिंह
ग्राम दौलखेड़ी तहसील विदिशा
जिला विदिशा , मध्य प्रदेश ––– आवेदक

विरूद्ध

1– अखिलेश पटैल पुत्र बलबंत पटैल
निवासी टीलाखेड़ा कालोनी विदिशा
हाल मुकाम एच.आई0जी. डी.एक्स.
183 बाग मुगलिया , भोपाल

2– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर विदिशा ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री नसीम कुरेशी)

आ दे श

(आज दिनॉक 12–1–2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 13/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10–06–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम ढोलखेड़ी स्थित खाता कमांक 12 के स्वर्गीय दिलीप सिंह पुत्र बिहारी सिंह भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 15-6-2002 को हुई। भूमिस्वामी दिलीप सिंह की मृत्यु उपरांत राम सिंह पुत्र दिलीप सिंह ने बसीयतनामा कमांक 13 दिनांक 26-3-2002 के आधार पर नामान्तरण की मांग की। ग्राम ढोलखेडी की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 12 पर भूमि सर्वे कमांक 388 रकबा 1.494 हैक्टर, सर्वे कमांक 405/1 रकबा 4.298 हैक्टर, सर्वे कमांक 410/1 रकबा 0.179 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 5.971 हैक्टर के नामान्तरण की प्रविष्टि दिनांक 10-9-2002 को गई, जिसे तहसीलदार विदिशा ने प्रमाणित कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष दिनॉक 6-8-2015 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा ने प्रकरण कमांक 13/2015-16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 10-6-2016 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक ने एंव अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह पुत्र बिहारी सिंह व्दारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर बसीयत के आधार पर तहसीलदार ने प्रविष्टि दिनांक 10-9-2002 को प्रमाणित करके आवेदक का नामान्तरण किया है जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक एक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 6-8-15 को अर्थात 12 वर्ष 11 माह वाद अपील प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के पद 3 में विलम्ब का अधार यह दर्शाया है कि संहिता की धारा 109,110 के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत की गई बसीयत

दिनांक 26-3-2002 में उल्लेखित स्व.श्री दिलीप सिंह के सभी हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई। विचार योग्य है कि दिलीप सिंह के दिनांक 15-6-2002 को मरने के 12 वर्ष 11 माह के लम्बे अंतराल में अनावेदक कमांक-1 ने स्वयं् को मृतक का वारिस होना बताते हुये नामान्तरण कार्यवाही क्यों नहीं कराई, अनावेदक क्र-1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है और न ही इस न्यायालय को इसका समाधान कराया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम.पी. विरुद्ध सवजीराम 1995(2) म0प्र0वीकली नोट 193 से अनुसरित)
2. परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - विलम्ब क्षमा किये जाने की मांग की गई - विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई की। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0 बनाम राम प्रकाश शर्मा 1989 जे0एल0जे0 36 एम0पी0 से अनुसरित)

परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी विदिशा में आदेश दिनांक 10-06-2016 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10-06-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर